तत्काल/महत्वपूर्ण

संख्या-1274(2)/60-1-10-1/13(71)/06

प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग- 1 लखनऊ : दिनांक : 30 मई, 2011

विषय- किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की बैठकों हेतु भवन के चयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-4930/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 03-12-2010 तथा शासनादेश संख्या- 1129/60-1-10-1/13(71)/06 दिनांक 29-04-2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की विधिक सेवाओं के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण समिति के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना के प्राविधानों के अनुरूप किराए के भवन का चयन कर लिए जाने हेतु निर्देश निर्गत किए गए थे।

उपरोक्त निर्गत शासनादेश के अनुपालन में जनपदों से अपेक्षित कार्यवाही किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विभाग की मासिक समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के प्रति जिला बाल संरक्षण अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा कतिपय संशय व्यक्त किया गया है, जिसकी व्याख्या किशोर न्याय अधिनियम, 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नवत् है-

किशोर न्याय अधिनियम, 2000 की नियमावली, 2007 के नियम 9 (1) के अनुसार -

"बोर्ड अपनी बैठकें किसी सम्प्रेक्षण गृह में अथवा सम्प्रेक्षण गृह के निकट स्थित स्थान पर अथवा इस अधिनियम के अधीन चलाए जा रहे किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा और किसी भी परिस्थिति में बोर्ड किसी न्यायालय परिसर में अपनी बैठकें आयोजित नहीं करेगा।"

इसी प्रकार बाल कल्याण समिति की बैठकों के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 24 (1) में निम्नलिखित प्राविधान किए गए हैं-

"समिति अपनी बैठकें बाल गृह के परिसर एवं बाल गृह के निकट किसी भी स्थान एवं इस अधिनियम के अधीन चलाए जा रही किसी संस्था के उपयुक्त परिसर में आयोजित करेगा।"

उपरोक्त के अतिरिक्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम-2 एवं नियमावली 24 के उपनियम-2 से स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है।

उपरोक्त निर्गत शासनादेशों में स्पष्ट कर दिया गया था कि समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड हेतु भवन के लिए 300 वर्गफुट के 02 कक्षों का किराया रू0 5000/- प्रतिमाह की दर से (वास्तविक व्यय के अधीन) तथा बाल कल्याण समिति हेतु भवन के लिए 300 वर्गफुट के 02 कक्षों का किराया रू0 5000/- प्रतिमाह की दर की सीमा के अंतर्गत (वास्तविक व्यय के अधीन) लिए जाने की व्यवस्था दी गयी है।

महिला कल्याण विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित जिन संस्थाओं में किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के लिए बैठकों के लिए उपरोक्त वर्णित क्षेत्रफल सीमा के अंतर्गत स्थान उपलब्ध है, वहाँ पर बैठकें संस्था परिसर में ही कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है,

परन्तु जहाँ पर बोर्ड अथवा समिति की बैठकों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है वहाँ पर यथा सम्भव सम्प्रेक्षण गृह एवं बाल गृह के सन्निकट किराए का भवन लिया जाए।

राज्य स्तर पर सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति एवं जनपद स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति समेकित बाल संरक्षण योजना की संस्थागत/गैर संस्थागत/वैधानिक सेवाओं के मूल्यांकन, कियान्वयन, नीति निर्धारण एवं अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है। समेकित बाल संरक्षण योजना में जिला बाल संरक्षण संस्था, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के भवन हेतु किराए की दर एवं कमरों/स्थान का क्षेत्रफल पूर्व से ही निर्धारित है। जिला बाल संरक्षण समिति के अनुमोदनोपरान्त उक्त कार्यालयों हेतु भवन का चयन एवं किराए का निर्धारण सुनिश्चित कर लिया जाए।

भवदीय,

( बलविन्दर कुमार )
प्रमुख सचिव।

संख्या-1274 (3)/60-1-10-1/13(71)/06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
6. गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

( भवनाथ )
विशेष सचिव।